भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5603
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सेल्फइंजेक्शन वाले एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर

5603. **श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेल्फइंजेक्शन वाले एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं हैं और रोगियों को आपातकालीन उपयोग के लिए पहले से तैयार एपिनेफ्रीन सिरिंज साथ ले जानी पड़ती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सेल्फइंजेक्शन वाले एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर को जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत सेल्फइंजेक्शन वाले एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर को शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सेल्फइंजेक्शन वाले एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम/पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान में सेल्फइंजेक्शन वाले एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टरों के विनिर्माण की प्रक्रिया में लगी हुईं इन घरेलू दवा कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सेल्फइंजेक्शन वाले एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर वर्तमान में भारत में विनिर्मित नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि, एपिनेफ्रीन इंजेक्टेबल्स, जैसे कि एम्पुल्स और शीशियाँ, आसानी से उपलब्ध हैं और भारत में कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं।

औषध के लिए उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना के तहत, पहचाने गए उत्पादों, जिनमें एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर शामिल हैं, के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। चयनित आवेदकों में से एक ने एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर के विनिर्माण और विपणन की अनुमति के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के पास एक आवेदन दाखिल किया है, जो सीडीएससीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समीक्षा के चरण में है। एक अनुमोदित उत्पाद के रूप में, वाणिज्यीकरण होने पर एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर का विनिर्माण और बिक्री, बिक्री के 10% की दर से प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

चूंकि एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर के लिए विनिर्माण और विपणन की अनुमति सीडीएससीओ में समीक्षा के चरण में है, और केवल अनुमोदित उत्पादों को ही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उत्पाद टोकरी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, इसलिए एपिनेफ्रीन ऑटोइंजेक्टर को इस समय योजना की उत्पाद टोकरी में शामिल नहीं किया गया है।

*****